राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2036/2016/कोटा

सुनिल सरोजा पुत्र श्री रामसहाय जी सरोजा,
निवासी 130/8, शिवाजी लैण्ड,सिविल लाइन्स, ऑफिसर्स मैस के पास,
कोटा, स्टेशन रोड कोटा जंक्शन। ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक कोटा प्रथम ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जी.एस.लखावत
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर खदाव
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 25.10.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे **'अधीनस्थ न्यायालय'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 13.06.2016 प्रकरण संख्या 88/2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक कोटा प्रथम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि (1) श्रीमती शान्ति सरोजा पत्नी स्व. श्री रामसहाय सरोजा जाति कलाल निवासिनी पॉवर हाउस सब स्टेशन के पीछे भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन, (2) श्रीमती पूर्णिमा सुवालका पत्नी श्री कुंज बिहारी सुवालका पुत्री स्व. श्री राम सहाय सरोजा जाति कलाल निवासिनी विजय गेट बर्फ फैक्ट्री लाखेरी जिला बून्दी, (3) श्री सुरेश कुमार सरोजा आत्मज स्व. श्री रामसहाय सरोजा जाति कलाल फ्लेट नम्बर 304 मंगलायतन, जैन मन्दिर रोड़ भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन, (4) अनिल सरोजा आत्मज स्व. श्री रामसहाय सरोजा जाति कलाल निवासी पॉवर हास सब स्टेशन के पीछे, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन, (5) सुधीर सरोजा आत्मज स्व. श्री रामसहाय सरोजा जाति कलाल निवासी पॉवर हाउस सब स्टेशन के पीछे, भीमगंजमण्डी, (6) सुनील सरोजा आत्मज स्व. श्री रामसहाय सरोजा जाति कलाल 130/8, शिवाजी लेन सिविल लाईन्स ऑफिसर्स मैस के पास स्टेशन रोड कोटा जंक्शन की सम्मिलित

लगातार.....2.

सम्पत्ति जिसमें सम्पत्ति का विभाजन श्री सुनील सरोजा पक्षकार क्रम 6, श्री अनिल सरोजा व सुधीर सरोजा पक्षकार क्रम 4 व 5 के मध्य एक पैतृक सम्पत्ति का विभाजन पत्र उप पंजीयक कोटा प्रथम में पंजीयन वास्ते दिनांक 18.02.2011 को प्रस्तुत किया। उपपंजीयक द्वारा तत्समय उक्त दस्तावेज 1,02,15,061/– रूपये की मालियत पर दस्तावेज संख्या 833 दिनांक 18.02.2011 को पंजीयन कर अप्रार्थी को लौटा दिया गया। तत्पश्चात महालेखकार राजस्थान जयपुर ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आक्षेपित लिया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2(xx) में विभाजन पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सा पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा। अतः उक्त अधिनियम के आर्टिकल 42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य था। इस आधार पर यह आक्षेप लिया गया कि प्रकरण में 3,39,650/– रू की राजस्व अपवंचना हुई है। उपरोक्त राजस्व अपवंचना के संबंध में विभाग को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिये ऑडिट ज्ञापन नम्बर 6 दिनांक 10.08.2011 को दिया गया जिसके प्रत्युत्तर में बताया कि विभाजन पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण इसके संबंध में अधिसूचना दिनांक 07.07.1998 के अनुसार मुद्रांक कर एवं पजीयन शुल्क सही वसूल किया गया है। विभाग का यह प्रत्युत्तर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार यह माना गया कि दस्तावेज में पक्षकारों को पिता द्वारा क्रय भूमि का बटवारा हुआ है जो पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आकर स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है तथा अधिसूचना दिनांक 07.07.1998 पूर्व अधिनियम 1899 के प्रावधानों से असंगत होने से निष्प्रभावी हो गई है। आक्षेपित राशि वसूली हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने ऑडिट आक्षेप को स्वीकार करते हुए सम्पत्ति की मालियत 69,92,979/– रू निर्धारित कर कमी स्टाम्प 3,39,650/– रू व पेनल्टी 2,20,780/– रू कुल 5,60,430/– रू प्रार्थी से वसूल किये जाने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति तीन मंजिला मकान, पॉवर हाउस सब स्टेशन के पीछे,

लगातार.....3.

भीमगंजमण्डी, कोटा में स्थित है। यह सम्पत्ति श्री राम गोपाल पुत्र श्री नाथूलाल, श्री रामसहाय एवं उनके भाई श्री रामप्रसाद द्वारा 17.07.1934 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी। श्री रामगोपाल एवं श्री रामप्रसाद की मृत्यु के उपरांत उनका हिस्सा भी श्री रामसहाय को विधिक वारिसान के तौर पर प्राप्त हुआ। विभाजन पत्र के पक्षकार 1 से 6 श्री रामसहाय सरोजा के विधिक वारिसान है। श्रीमती शांता जो विभाजन पत्र की पक्षकार क्रम. सं. 1 है, रामसहाय की पत्नी है तथा क्रम.सं. 2 से 6 श्री रामसहाय के पुत्र–पुत्रीयॉ है। रामसहाय का स्वर्गवास दिनांक 23.04.1975 को हुआ है तथा उपरोक्त सम्पत्ति का प्रश्नगत दस्तावेज द्वारा विभाजन किया जाकर सम्पत्ति पक्षकार सं. 4, 5, व 6 जो कि रामसहाय के पुत्र है, को प्राप्त हुई है। उक्त विभाजन पत्र पर देय मुद्रांक कर अदा करके दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था, जिसे उप पंजीयक ने तत्समय प्रभावी कानूनी प्रावधान अनुसार पूर्ण संतुष्टी के उपरान्त प्रार्थीगण को पंजीकृत कर लौटा दिया था, उक्त दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर अदा किये जाने के पश्चात अन्य कोई राशि देय नहीं है। इस तथ्य को स्वयं रेफरेन्सकर्ता उप पंजीयक भी स्वीकार करते है जो पत्रावली पर उपलब्ध ऑडिट आक्षेप में किये गये वर्णन से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज के सबंध में उप पंजीयक द्वारा रेफरेन्स करने एवं उक्त रेफरेन्स की इस माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही करने में त्रुटि की है। उक्त विभाजन पत्र वाली सम्पत्ति प्रार्थी व विभाजन पत्र के अन्य पक्षकारान को विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से पैतृक सम्पत्ति का विभाजन किया गया है एवं उस पर कानून/विधि अनुरूप आवश्यक मुद्रांक अदा कर पंजीकृत कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 09.09.7.98 द्वारा 08.03.16 तक प्रभावी थी जो वर्तमान में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ4(6)वित्त/कर/2016–17 दिनांक 08.03.16 से प्रमाणित है। इस प्रकार प्रस्तुत कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र प.2(50)वित्त/कर/2010 दिनांक 01.12.10 द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.04 से पूर्व जारी अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत जारी किया है। जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अधिनियम में स्टाम्प ड्यूटी को कम किये जाने व छूट दिये जाने की शक्तियॉ कम थी तथा वर्तमान नये अधिनियम में भी धारा 9 के अधीन राज्य सरकार को इस प्रकार की शक्तियॉ प्राप्त है अतः स्टाम्प मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के

लगातार.....4.

तहत रेफरेन्स किया जो पूर्णतः गलत है। धारा 51 में मालियत का निर्धारण किया जाता है। यह धारा इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय दिनांक 13.06.2016 को अपास्त कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने निवेदन किया गया।

5. राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (XX) में विभाजन–पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टीकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बडे हिस्से को छोडकर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन–पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकार हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टीकल–42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय को विधिसम्मत कथित करते हुए राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। प्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारा नामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स इस आधार पर स्वीकार किया है कि उक्त अधिसूचनाएँ अधिनियम की धारा 92(2) सपठित शेड्यूल के आर्टिकल के असंगत है जिससे छूट का लाभ देय नहीं है।

8. प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी

लगातार.....5

अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 18.02.2011 पर देय है या नही। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act.

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्टित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :–

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable.

इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

लगातार.....6

9. इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :–

"राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/ 10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

10. स्वयं विभाग द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 18.02.2011 पर देय है।

11. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :–

लगातार.....7

Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.**

इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है। विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति राम गोपाल पुत्र नाथूलाल, रामसहाय एवं उनके भाई रामप्रसाद द्वारा 17.07.1934 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी। रामगोपाल एवं रामप्रसाद की मृत्यु के उपरांत उनका हिस्सा भी रामसहाय को प्राप्त हुआ। विभाजन पत्र के पक्षकार 1 से 6 श्री रामसहाय सरोजा के विधिक वारिसान है। श्रीमती शांता जो विभाजन पत्र की पक्षकार क्रम. सं. 1 है, रामसहाय की पत्नी है तथा क्रम.सं. 2 से 6 श्री रामसहाय के पुत्र पुत्रीयॉ है। रामसहाय का स्वर्गवास दिनांक 23.04.1975 को हुआ है तथा उपरोक्त सम्पत्ति का प्रश्नगत दस्तावेज द्वारा विभाजन किया जाकर सम्पत्ति पक्षकार से. 4, 5, व 6 जो की रामसहाय के पुत्र है, को प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति रामसहाय की मृत्यु के उपरांत उनके विधिक वारिसान को जरिये विरासतन प्राप्त हुई है जिससे यह सम्पत्ति पैतृक मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नही है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नही है।

12. पूर्व में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1366/2017/कोटा मुकुट घनश्याम मित्तल बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 24.04.2018/खण्डपीठ द्वारा निगरानी संख्या 547/2015 /जयपुर निर्णय दिनांक 29.06.2018 द्वारा भी उपरोक्त धारणाओं की पुष्टि होती है।

13. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति श्री रामसहाय की संपत्ति है जो उनके विधिक वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई है जो उनकी पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के

लगातार.....8

कारण अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश दिनांक 13.06.2016 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

14. परिणामस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), कोटा का आदेश दिनांक 13.06.2016 को अपास्त किया जाता है।

15. निर्णय सुनाया गया।

25/10/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य